



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022026-270308
CG-DL-E-19022026-270308

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2026/माघ 28, 1947

No. 130]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2026/MAGHA 28, 1947

नागर विमानन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 136(अ).— भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) की धारा 11, 12, 19, धारा 25 की उप-धारा (4) तथा धारा 30 और 33 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2025 में आगे संशोधन के लिए, कतिपय नियमों का मसौदा, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 34 में अपेक्षित है, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु एतद्वारा प्रकाशित करती है तथा एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा नियमों को उस तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के बाद ध्यान में रखा जाएगा, जिस दिन भारत के राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, महानिदेशक, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो, उड़ान भवन, अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली -110003 को भेजे जा सकते हैं या dg.aaib-moca@gov.in या aaib.moca@nic.in को ई-मेल किया जा सकता है;

उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

नियम मसौदा

1. (1) इन नियमों को वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) (पहला संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।
(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. प्रस्तावना के सक्षम खंड में, इन शब्दों अर्थात् “अतः, अब, केंद्रीय सरकार भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) की धारा 11, 12, 19, 30, 32 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:— ” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—
“अतः, अब, केंद्रीय सरकार भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) की धारा 11, 12, 19, 30, 32 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2017 को, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए या किए जाने से रह गए कार्यों के संबंध में अपवाद रखते हुए, अधिक्रमित करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—”

[फा. सं. 1245/201/2025-डीजी अनुभाग-एम.ओ.सी.ए]

शोभित गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 829 (ई), दिनांक 7 नवम्बर, 2025 के माध्यम से 10 नवम्बर, 2025 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th February, 2026

G.S.R. 136(E).— The following draft of certain rules further to amend the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2025, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Sections 11, 12, 19, Sub-section (4) of Section 25, Sections 30 and 33 of the Bharatiya Vayuyan Adhinyam, 2024 (16 of 2024), is hereby published as required by section 34 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of fifteen days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Aircraft Accident Investigation Bureau, Udaan Bhawan, Aurobindo Marg, New Delhi-110003 or e-mailed to dg.aaib-moca@gov.in or aaib.moca@nic.in ;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These Rules may be called the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) (First Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the enabling clause of the preamble, for the words "Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 11, 12, 19, 30, 32 and 33 of the Bharatiya Vayuyan Adhinyam, 2024 (16 of

2024) the Central Government hereby makes the following rules, namely: —", the following words shall be substituted,-

"Now, therefore in exercise of the powers conferred by sections 11, 12, 19, 30, 32 and 33 of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024) and in supersession of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—".

[F. No. 1245/201/2025-D G Section-MOCA]

SHOBHIT GUPTA, Jt. Secy.

NOTE:- The principal rules were published on 10th November, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 829(E), dated the 7th November, 2025.